

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000402011

दांडिक प्रकरण क.-140/11

संस्थापित दिनांक-20.04.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-पप्पू उर्फ शिशुपाल पुत्र भवरलाल अहिरवार उम्र 19 साल निवासी बेलई।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री जाफरी अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 24.03.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र पिपरई, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 509, 354 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी फूलबाई ने दिनांक 10.04.11 को आरक्षी केंद्र पिपरई में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 09.04.11 को जब वह सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने गई थी तब करीब 08.30 बजे पप्पू उर्फ शिशुपाल ने उसकी तरफ अश्लील इशारा कर आंख मारी, फिर वह चुपचाप पानी भरकर चली गई। घटना दिनांक को जब वह हैंडपंप पर पानी भरने गई तब करीब 08.30 बजे का समय होगा, पप्पू उर्फ शिशुपाल ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर स्कूल की किचन की तरफ खींचने लगा और उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और घर जाकर सारी बात अपनी मां को बताई एवं लोक लज्जा के कारण सुबह रिपोर्ट करने नहीं गई। बाद में उसके पिता एवं भाई के साथ रिपोर्ट करने आई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 94/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 506, 354 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04- प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 509, 354 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 09—10.04.11 को 08.30 बजे फरियादी फूलबाई को इशारा कर आंख मारकर उसकी लज्जा का अनादर किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर स्कूल के किचन तरफ खींचकर आपराधिक बल का प्रयोग कर लज्जा भंग कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 फूलबाई, अ.सा. 02 सोमसिंह, अ.सा. 03 लाडकुअर, अ.सा. 04 दलवीर अहिरवार, अ.सा. 05 जी बी सुमन की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपी की ओर से कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई।

07— अभियोजन साक्षी 01 फूलबाई ने अपने कथन में बताया है कि घटना एक वर्ष पहले की सुबह आठ—साढ़े आठ बजे की है। उक्त साक्षी के अनुसार वह हैंडपंप पर पानी भरने गई थी तब आरोपी ने इशारा कर उसे आंख मारी थी और दूसरे दिन उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर किचन शेड के पास ले गया था जिसे उसने झटके से छुड़ा लिया था। उक्त बात उसने अपने पिता सोम सिंह एवं भाई जगदीश को बताई थी एवं फिर वे लोग रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराने थाना पिपरई गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस ने नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया था। उक्त साक्षी की साक्ष्य का अनुसमर्थन अ.सा. 02 सोमसिंह ने अपने कथन में किया है। उक्त साक्षी ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसकी पुत्री अ.सा. 01 फूलबाई को आंख मारी थी और उसका हाथ पकड़कर किचन की तरफ ले गया था। अ.सा. 03 लाडकुअर ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपी ने उसकी पुत्री को आंख मारी थी और उसका हाथ पकड़कर खींचकर ले गया था। अ.सा. 04 दलवीर ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपी उसकी बहन जो कि मामले की फरियादिया है, को बुरी नीयत से देख रहा था। अ.सा. 02 लगायत अ.सा. 04 ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी ने बोला था कि जो बन सके वो कर लो। अ.सा. 02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उनके द्वारा शर्मिंदगी के कारण रिपोर्ट नहीं की गई।

08— अ.सा. 05 जी बी सुमन जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे तथा नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके द्वारा प्रकरण में साक्षीगण के कथन अपने मन से लेखबद्ध किए गए थे। इस प्रकार अ.सा. 05 मामले का विवेचक होकर मात्र नक्शामौका एवं कथन लेने वाला साक्षी है। प्रकरण में अ.सा. 01 लगायत अ.सा. 04 की साक्ष्य महत्वपूर्ण है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 01 एवं अ.सा. 01 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उल्लेखनीय है कि अ.सा. 01 की साक्ष्य का अनुसमर्थन एवं संपुष्टि अ.सा. 02 लगायत अ.सा. 04 की साक्ष्य से हो रही है। अ.सा. 03 की साक्ष्य से प्रकट हो रहा है कि आरोपी एवं फरियादी पक्ष का एक बार विवाद पूर्व में हो चुका है तथा आरोपी ने अ.सा. 03 की लडकी की शादी तुड़वा दी थी। अ.सा. 02 लगायत अ.सा. 04 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं, किंतु उनकी साक्ष्य से फरियादी की साक्ष्य की

संपुष्टि हो रही है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य तटस्थ एवं अखंडनीय रही है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्ष्य में ऐसा कोई प्रमुख विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला बनाया गया है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन पक्ष द्वारा रंजिशन झूठा मामला बनाया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी को इशारा कर आंख मारी गई तथा लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल की किचन की तरफ खींचकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 509 एवं 354 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

10— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला—अशोकनगर

पुनश्च:—

11. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री जाफरी का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध फरियादी के साथ कारित किया गया है। मामले की फरियादिया महिला है और इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

12. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराध कारित किया जाता है तो ऐसी दशा में उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी पप्पू उर्फ शिशुपाल को भा.द.वि. की धारा 509 के अपराध में 3 माह के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 7 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को भादवि की धारा 354 के आरोप में 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड

के व्यतिक्रम में आरोपी 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। उक्त दोनों दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

13. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।
14. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।
15. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
16. आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)